



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति।

रिट अपील क्रमांक 12/2008

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता :

एस.एन. सिंह, आयु लगभग 56 वर्ष, आत्मज पेन सिंह, तहसीलदार, सकरी, जिला

बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, राजस्व विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(छ.ग.)

2. अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(छ.ग.)

3. जय शंकर उरांव (पिता का नाम याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं), नायब तहसीलदार के

रूप में कार्यरत, तहसील गनियारी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा

2(1) सहपठित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2005 के नियम 157 (10) के

अधीन प्रस्तुत रिट अपील।

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता

राज्य के लिए श्री विनय हारित, उप महाधिवक्ता ।

// निर्णय //

(दिनांक 11.02.2008)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया।

2) अपीलार्थी एस.एन. सिंह ने रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5686/2007 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.01.2008 के विरुद्ध यह रिट अपील दायर की है।

3) अपीलार्थी एस.एन. सिंह ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए रिट याचिका दायर की थी:

1. प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख मंगाया जाए।



2. उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में एक रिट जारी कर, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.08.2007 (पी-1) को अपास्त/निरस्त किया जाए।
3. परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी कर, संबंधित प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापना के स्थान अर्थात् उप तहसील सकरी, जिला बिलासपुर में कार्य करने की अनुमति दी जाए।
4. कोई भी अन्य आदेश, निर्देश, रिट जारी की जाए जिसे माननीय न्यायालय इस याचिका में उचित और उपयुक्त समझे।

4) अपीलार्थी / याचिकाकर्ता इस प्रकार सारतः दिनांक 31.08.2007 के आदेश को चुनौती दे रहा था जिसके द्वारा अपीलार्थी / याचिकाकर्ता का स्थानांतरण तहसील सकरी से तहसील गनियारी में किया गया था, जो बिलासपुर के उसी जिले के भीतर है।

5) अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क रिट न्यायालय को स्वीकार्य नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.01.2008 के माध्यम से अपीलार्थी की रिट याचिका खारिज कर दी गई।

6) सुनवाई के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि गनियारी, वह स्थान जहाँ अब अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापना स्थान सकरी से 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर है और ये दोनों स्थान बिलासपुर जिले के भीतर हैं।

7) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर सम्यक् विचार करने के उपरांत हमें उस आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली जिसके द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका



खारिज की गई थी और अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.08.2007 को यथावत रखा गया था। अतएव, हमें इस रिट अपील में हस्तक्षेप की कोई नहीं मिली।

8) अतः, रिट अपील विफल होती है और एतद्वारा इसे संक्षेप में खारिज किया जाता है।

सही/-
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

